Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 2, July-2017, ISSN 2230-7540

सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण

Dr. Pushpa Rai*

Associate Profesor & Head of the Department, Department of Sociology, Sri Arvind Mahila College, Patna, Bihar

सार – *महिला, दृढ़निश्चयी महिला, उद्यमी महिला, जागरूक महिला को शिक्षा एवं सम्मान के धरातल पर आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर महिला की ओर आकर्षित है। इस नवीन वातावरण में महिलाये अपनी शिक्षा, परिश्रम, जागरूकता, संकल्प एवं उद्यमशीलता को अग्रसारित कर अपने को और उपयोगी सिद्ध करें। दूसरी तरफ यह भी माना है कि अब यह सब महिलाओं पर ही निर्भर है कि वे अपनी आन्तरिक शक्तियों को जगाकर और वाह्य शक्तियों को संगठित कर, इस परिवर्तित नवीन वातावरण का उपयोग अपने पक्ष में करके राष्ट्र निर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है, या महिला-पुरूष प्रतिद्वन्दिता और टकराव की राजनीति चला कर अपनी शक्तियों का अपव्यय करने के साथ-साथ अपनी संकटपूर्ण शोषक स्थितियों को आमंत्रित करती है। पहले चिली और अब अर्जेन्टीना में महिला राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद कभी "पुरूष वर्चस्व" संस्कृति के लिए कुख्यात लैटिन अमेरिका आज विकासशील राष्ट्रों को महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में नया नेतृत्व दे रहा है। हालाँकि "क्रिस्टीना फर्नान्डेज दे किर्चनर" नए राष्ट्रपति के रूप में अपने पति नेस्टर किर्चनर का स्थान लेंगी। फिर भी उनके चुनाव को परिवारवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्रिस्टीना सीनेटर रह चुकी है, और एक संघर्षशील नेता के रूप में पहचानी जाती है। मानवाधिकार और महिला समस्याओं पर उन्होंने कई दशकों से काम किया है। साथ ही, सैनिक सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन एवं पीड़ितों के समर्थन में उन्होंने कई अभियान चलाए है।*

----------X----------

प्रस्तावना

उन्नीसवीं सदी प्रथमार्ध को महिला जागृति का युग कहा जाता है, तो उत्तरार्ध को निश्चित ही महिला प्रगति का युग कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि अगली शताब्दी में महिलाओं की सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय भागीदारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वैश्वीकरण और जागरूकता के इस नये परिवेश में समाज शिक्षित महिला, दृढ़निश्चयी महिला, उद्यमी महिला, जागरूक महिला को शिक्षा एवं सम्मान के धरातल पर आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर महिला की ओर आकर्षित है। पहले चिली और अब अर्जेन्टीना में महिला राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद कभी "पुरूष वर्चस्व संस्कृति के लिए कुख्यात लैटिन अमेरिका आज विकासशील राष्ट्रों को महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में नया नेतृत्व दे रहा है। हालाँकि क्रिस्टीना फर्नान्डेज दे किर्चनर नए राष्ट्रपति के रूप में अपने पति नेस्टर किर्चनर का स्थान लेंगी। फिर भी उनके चुनाव को परिवारवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्रिस्टीना सीनेटर रह चुकी है, और एक संघर्षशील नेता के रूप में पहचानी जाती है। मानवाधिकार और महिला समस्याओं पर उन्होंने कई दशकों से काम किया है। साथ ही, सैनिक सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन एवं पीड़ितों के समर्थन में उन्होंने कई अभियान चलाए है। उन्होंने कहा अवाराणत्मक एवं सशक्तिक परिप्रेक्ष्य भी है, "मैने न तो एवा पेरोन न ही अपने पति नेस्टर से विरासत में कुछ पाया है। जो कुछ मुझे हासिल हुआ है, वह मेरी अपनी उपलब्धि है। पिछले साल अर्जेन्टीना के पड़ोसी राष्ट्र चिली में ष्मिशेल बाकेलेत राष्ट्रपति चुनी गई। वह दक्षिण अमेरिका की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनीं। दक्षिणी अमेरिका के एक अन्य देश पेरू में लुरदेश फ्लोरेस महज बहुत कम वोटों से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से वंचित रह गई। लगता है कि जिस प्रकार दक्षिण अमेरिका में एक के बाद एक वामपंथी सरकारें सत्तासीन हो रही है, उसी तरह वहाँ महिलाओं को राष्ट्रपति चुनने की होड़ लगी है। भारत में राष्ट्रपति के रूप में महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल" का चुना जाना अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। पाराग्वे के राष्ट्रपति निकानोर दुआरते जिस प्रकार अगले वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री ब्लांका ओवेलार का खुल कर समर्थन कर रहे है, उसे देखते हुए उनका निर्वाचन तय लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति 'लूला' ने 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व ऊर्जा मंत्री दिलमा रौसेफ को उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा मूलरूप से नवजागरण काल की इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य महिला हो या

www.ignited.in

पुरूष स्वतंत्र पैदा हुआ है, सामाजिक दासता एवं अधीनता उसकी प्रकृति में नहीं है। डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व को सामाजिक न्याय का पर्याय मानते थे। अतः समाज में उनकी दृष्टि से इन तत्वों का अभाव सामाजिक अन्याय का द्योतक है। इनके अनुसार शुद्र एवं दलित महिलाएँ ही सामाजिक न्याय की असली हकदार है। परम्परागत हिन्दू विधान ने महिला को न केवल पुरूष के समान अधिकारों से वंचित किया था, अपितु उस पर अनेक निर्योग्यतायें भी थोपी थीं। भारतीय संविधान ने महिला की निर्योग्यताओं को समाप्त कर उसे पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये। संविधान का अनुच्छेद 14 महिला को पुरूष के समान दर्जा देता है, और समान कार्य के लिए उसे पुरूष के समान पारिश्रमिक प्रदान किये जाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(1) के द्वारा लिंग के आधार पर भेद भाव समाप्त किया गया। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये महिला को पुरूष के बराबर राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता का उनके लिये कोई अर्थ नहीं है, जो जन्म के आधार पर निर्योग्यताओं से ग्रसित, अधिकारों से वंचित, दलित एवं तिरस्कृत रहें है।

सामाजिक विकास विविधतापूर्ण रणनीति की माँग करता है। इसके लिए सामाजिक विकास के विभिन्न घटकों का उन्नयन आवश्यक है। वस्तुतः यह एक बहुआयामी प्रयास है। इसका उद्देश्य साक्षरता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संवर्द्धन है। इसके तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, पेयजल की उपलब्धता, निवारण एवं उपचारक दोनों प्रकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता तथा सृजनात्मक रोजगार समाहित है। इसका तात्पर्य लिंग, नस्ल, रंग, धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सम्मान है। इसका अर्थ यह है कि जिस समाज में व्यक्ति जीवनयापन कर रहा है, वह उसके लिए उपयुक्त है, तथा उसकी गतिविधियों से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य समतामूलक न्याय के साथ-साथ तीव्र राष्ट्र, आर्थिक प्रगति कारण, आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवनयापन करना है। सामाजिक विकास में समाज एवं व्यक्ति, दोनों की खुशहाली अंतनिर्हित है, जहाँ समाज व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह बात जहाँ देश के अंदर व्यक्ति के लिए लागू होती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप उसके विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में किसी अन्य राष्ट्र को दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, जैसे समाज व्यक्ति को चर्चा एवं सर्वानुमति के तहत स्वीकार करता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राष्ट्र को अंगीकार करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब कुछ देश दूसरों के लिए कानून बनाते हैं, किंतु उनका स्वयं पालन नहीं करते हैं।

इन प्रावधानों के फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संस्थाओं का निर्माण हो सकेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निकट भूत में गठित महत्वपूर्ण संगठन है। जहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग सांविधिक संस्था है, वहीं अन्य संस्थाएं विधिक है। ये संस्थाएं संसद द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर स्थापित की गयी है। इन आयोगों का कार्य समाज के इन वर्गों के अधिकारों के हनन करने वाले मामलों की जाँच करना है। ये अभियोगों को सत्यापित करने के लिए गवाहों तथा साक्ष्यों की तहकीकात करते है। इन आयोगों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है। इस प्रकार गठित संस्थाओं से महिला सहित कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा संभव हो सकी है। इन संस्थाओं की प्रक्रियाएँ खुली हुई है, और प्रभावित वर्ग यहाँ से सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकते है। ऐसा अनुभव किया गया है कि सामाजिक विकास का आधार आर्थिक उन्नयन रहा है। यहाँ पर संस्थाओं के निर्माण की अहम् भूमिका है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय स्तर पर विधिक एवं वित्त तथा विकास निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों की स्थापना कई राज्यों में की गई है। विकलांगों के लिए भी सहकारिताओं का निर्माण किया गया है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें कमजोर वर्गों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर सब्सिडी प्रदान करती हैं इससे सकारात्मक नीतियों के तहत उनकों बैंक तथा अन्य संस्थानों से आर्थिक सहायता प्रदान करने में सहायता मिलती है।

सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला आरक्षण पर राजनीत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में बहुत सारी महिलाओं ने अनेकों नारीवादी आन्दोलनों में भाग लिया। अधिकांश आन्दोलनों ने परम्परागत चिन्तन या शास्त्रों का उद्धरण नहीं दिया। उनमें से कुछ चिन्तकों ने भारतीय शास्त्रों पर कठोर प्रहार किया। उनके अनुसार केवल सामाजिक प्रथाओं ने ही महिला का शोषण नहीं किया, परम्परागत चिन्तन में भी महिला को एक स्वायत्त स्थान नहीं मिला।

राजनैतिक संरचना एवं समाज का संबंध बुनियादी है। दूसरे शब्दों में राज्य समाज का ही एक रूप कहा जा सकता है, ये

www.ignited.in

एक दुसरे की पूरक है, किसी भी राष्ट्र की राजनैतिक संरचना एवं व्यवस्था के निर्माण मंर वहाँ की सामाजिक सरंचना का अत्यधिक महत्व होता है। भारत के परम्परागत स्वरूप को अगर देखा जाय तो यहाँ तो यह असमानताओं से भरा पड़ा है, जिसके लैंगिक असमानता प्रमुख है, जिसके कारण देश की आधी जनसंख्या, अनुत्पादक स्थिति में है, परतंत्र है, कुंठित है, विकासमूलक क्रियाकलापों में उनकी उचित सहभागिता सुनिश्चित नहीं है। इनके स्वयं के विकास के साथ-साथ परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, जिसे अध्ययन द्वारा इनकी सहभागिता के उभरते नवीन प्रतिमान की खोज कर पुरी की जा सकती है।

महिलाओं की राजनैतिक भर्ती परम्परागत भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की द्योतक तो है ही, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सत्ता के प्रत्यक्ष प्रयोग से भी जोड़ती है। इससे उन्हें राजनैतिक सहभागिता में औपचारिक साधन उपलब्ध हुए है। यद्यपि हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। 1991 के लोक सभा चुनावों में 521 सीटों के लिए कुल 8699 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें महिलाओं की संख्या केवल 325 थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि जीतने वाले सदस्यों में पुरूषों का प्रतिशत मात्र 5.8 था, और महिलाओं का प्रतिशत 11.4 था। 1999 के कुल 543 सीटों के लिए 4648 सदस्य उम्मीदवार थे, जिनमें महिलाओं की संख्या बढ़ने के स्थान पर घटकर 284 रह गई। इन चुनावों में भी महिलाओं के जीतने का प्रतिशत पुरूषों के 11.3 के मुकाबले 17.2 रहा। स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व की गारन्टी के न सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला आरक्षण पर राजनीत निर्वाचित संस्थाओं में आरक्षण के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में इन समुदायों के लोगों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ-साथ इनकी आर्थिक उन्नति के लिए सहायता दी जाती है। इस प्रकार आरक्षण नीति के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाहित है

1. राजनैतिक प्रतिनिधित्व,
2. सरकारी नौकरी,
3. शैक्षणिक अभ्युत्थान

आर्थिक उन्नति इस प्रकार तीन क्षेत्र में मुख्य रूप से आरक्षण है- निर्वाचित निकाय, शैक्षणिक संस्थान तथा सरकारी सेवा। निर्वाचित निकाय में आरक्षण का प्रावधान संविधान में समाहित है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवा में भर्ती को ध्यान में रखकर नौकरी में आरक्षण कार्यपालिका के प्रयास के परिणाम हैं। आरक्षण एवं विशेष प्रावधान प्रारंभ में दस वर्ग के लिए बनाए गए थे। तद्न्तर इसे 1970 तक, फिर 1980, इसके बाद 1990 और बाद में इसे 1990 के आगे भी जारी रखने का प्रावधान बनाया गया। इस अधिमान्य प्रावधान के पक्ष एवं विरोध में तर्क दिए जाते हैं। पहले विरोध ने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। बिहार और गुजरात में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन हुए। आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए तर्क का अवलोकन करना चाहिए।

1. यह तर्क दिया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग न सिर्फजाति श्रेणी में निम्न स्थान पर धकेल दिए गए, अपितु उन्हें सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया। अतएव आरक्षण प्रदान करना उन पर उपकार करना नहीं है, अपितु वर्षों से उन पर हो रहे अत्याचार को शमन करने का एक उपाय है। अतः यह दीर्घकाल तक हमारी नीति का अंग रहेगा।

2. सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला आरक्षण पर राजनीतसदियों से हो रहे अन्याय के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों तथासमाज के अधिकार संपन्न वर्ग के बीच खाई इतनी बढ़ गई है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को बिना अतिरिक्त सहायता के समाज के संपन्न वर्ग के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने लायक नहीं बनाया जा सकता है। अतएव आरक्षण एक समतामूलक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से समाज के ये उपेक्षित वर्ग देश के विकाससे लाभान्वित हो सके

3. यह भी तर्क दिया जाता है कि महात्मा गाँधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य महापुरूषों के प्रयासों के बावजूद इन समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह अभी भी व्याप्त है। समाज के उच्च वर्ग के लोगों को इनके प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। अतएव आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता है।

www.ignited.in

4. यह कहा जाता है कि शिक्षा से समता आती है, अतएव शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से वे जीवन के विशाल प्रांगण में विचरण कर सकेंगे, तथा भारतीय समाजमें अधिक सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे। आरक्षण के विरोध में तर्क आरक्षण के विरोध में दिए गए महत्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित है1. विशेष सुविधा के कारण व्यक्ति आलसी और परजीवी हो जाता है। आरक्षण प्रक्रिया के कारण लाभार्थी अपने आपको सुरक्षित महसूस करने लगता है, तथा उसमें निकम्मापन आ जाता है। यदि दीर्घकाल तक आरक्षण का प्रावधान लागू रहा तो उपेक्षित वर्ग स्वयं के बल पर आत्म विकास करने से वंचित रह जाएंगे। उपेक्षित वर्ग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाभ पाने के लिए राजनीतिक तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।

राजनीतिक व्यवस्था में लाभ प्राप्त करने के लिए मतदान की शक्ति का उपयोग किया जाता है। हाल में प्राथमिकता के आधार पर लाभ पाने के लिए हरिजन ने राजनीतिक व्यवस्था में अपनी मतदान शक्ति का उपयोग किया है। एक सीमा के अंदर यह जायज है, किंतु सीमा का अतिक्रमण हमेशा खतरनाक होता सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला आरक्षण पर राजनीत हाँलाकि माननीय उच्चतम न्यायालय भी किसी भी आरक्षण को स्थायी बनाने के पक्ष में नहीं है। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला को शामिल करने, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था करने, अवरोध उत्पन्न करने एवं राजनीति करने वाले लोगों को उजागर करने से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी इस अध्याय के अन्तर्गत अध्ययन से संलग्न उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

महिला स्वतंत्रता, जागरूकता एवं समानता के उभरते नवीन प्रतिमान

महिला जागृति एवं महिला सशक्तिकरण आज के युग की अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। इनकी आजादी, प्रगति, शिक्षा और समानता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का परिचायक है। आज समस्त विश्व में नारीवादी चिन्तन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यह चिन्तन समाज विज्ञान एवं साहित्य की सभी विधाओं में कई प्रस्थापित मूल्यों को चुनौती दे रहा है। महिला चिन्तन का यह परिदृय भारत के संदर्भ में अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए है, जिसमें महिला बन्धन प्रमुख है। कुछ प्रकृतिजनित, कुछ मानवजनित, कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक, कुछ आन्तरिक तो कुछ परिस्थितिजनित है। ये सभी बन्धन मानवीय हितों को प्रभावित करते हुए महिला, महिला के व्यक्तित्व विकास को अवरूद्ध कर देती है। इनसे उबरने का मार्ग है- महिला स्वातन्त्र्य एवं महिला सशक्तीकरण। हालाँकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो रहे है, जैसे पश्चिमी संस्कृति, भोगवादी दृष्टिकोण, महिला में दायित्वबोध की कमी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति की उन्मुखता आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट

1995 में पहली बार मानव विकास सूचकांक में महिला विकास के मानक भी जोड़ें गए है। मानव विकास के तीन सूचकों जीवन की प्रत्याशा, साक्षरता और आय के स्तर में महिला की प्रगति के अलावा संसद और विधान मण्डलों तथा फैसला लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का 116 देशों में आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट से यह बात मजबुती से उभर कर आयी है कि आर्थिक विकास और महिला पुरूष समानता में वैसा सापेक्ष सम्बन्ध नहीं है, जैसा आम तौर पर समझा जाता है। क्यूबा और चीन जैसे देशों में जहाँ महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में समान अवसर सुलभ हुए, प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद महिलाओं के समग्र विकास की गति संतोषजनक रही है। वास्तव में किसी भी समाज में महिलाओं की दशा, सामाजिक संरचना और बौद्धिक विकास प्रबुद्ध वर्गों की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जब तक सामन्ती प्रवृत्तियों को तोड़कर सामाजिक ढाँचे को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाएगा, महिला के लिए एक खुला जीवन सुनिश्चित नहीं किया जा सकत।

कश्मीर की आजादी के नाम पर जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर व दबाव बनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की महिलाओं पर बरपाए गए राज्य प्रायोजित आतंक के लिए सरकार को किसी राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कोई जवाब देही महसूस नहीं की गई। इसलिए आज दुनिया के सभी मुल्कों में महिलाओं के मानवाधिकार की व शर्तों की और बर्वर तरीके से अवहेलना की जाती है, बल्कि उन्हें मानवाधिकार के दायरे से बाहर रखा जाता है। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले यौन-भेद और यौन हिंसा से जुड़ा है। यूनीसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बालिकाएँ सिर्फ इसलिए मर जाती हैं या मार दी जाती है कि वे उस वर्ग में जन्म ले रही हैं जिसे मनुष्य से एक दरजा नीचे का माना गया है। महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेद-भाव की गम्भीरता देखने के लिए विश्व परिदृश्य पर एक उडती नजर डाले तो पता चलता है कि समानता और स्वतंत्रता की

www.ignited.in

सुनहरी शब्दावलियाँ गढ़ने में माहिर संयुक्तराष्ट्र संगठन के प्रशासन तंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15 प्रतिशत ही है, साथ ही विकसित राष्ट्र माने जाने वाले 96 देशों के विधान मण्डलों में उन्हें अभी 10 प्रतिशत जगह ही मिल पाई है।

शोषण और भेदभाव का भीतरी और खतरनाक रूप समाज की शक्ति संरचना से उपजा है। जो कदम-कदम पर महिला के आत्म-विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है। उसे हीन बनाने पर तुला रहता है। महिला घरेलू मोर्चे पर देखे तो भारत से और बांग्लादेश से लेकर दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले देश अमेरिका जैसे देश में भी महिलायें मार-पीट की शिकार होती है, या उसकी आशंका से आतंकित रहती है, पारिवारिक व सामाजिक सत्ता पर हर छोटे-बड़े मसले पर महिलाओं की उपेक्षा होती रहती है। सवाल पूछने और गलत चीजों का विरोध करने का सहज मानवीय हक पर पाबन्दी लगाकर महिला की सामान्य बुद्धि को कुण्ठित कर दिया जाता है। संतुलित मानवीय जीवन के लिए जरूरी पोषण स्वास्थ्य व शिक्षा के संदर्भ में महिलाओं के प्रति उपेक्षा और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है।

मीडिया के साथ महिलाओं का सम्बन्ध आदिकाल से ही रहा है। मीडिया में महिला की छवि काल एवं परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलती गई है। वर्तमान समय में मीडिया से महिला का सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ़ है। नई आर्थिक नीति 1991, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ने तो मीडिया में महिला की छवि को एकदम बदल दिया है। आज मीडिया में सीमित सम्वेदनशीलता बढ़ी है।

प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में महिला का आना, महिलाओं द्वारा अपनी जाति की खबरे देना निःसंदेह एक नई सम्वेदनशीलता का प्रमाण है। लेकिन मीडिया ने महिला की उपभोगवादी छवि की भी स्थापना की है, वह विज्ञापनों, टी.वी. सीरियलों, फिल्मों में एक नए अन्दाज में दिखलाई पड़ती है। यह महिला के उपभोक्ता रूप की स्थापना है। यह सच है कि भारतीय मीडिया ने वर्तमान समय में महिलाओं को स्वावलम्बी बना दिया है। वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। पहले जो वे घर की चहारदीवारी में कैद होकर रह गई थीं, आज उनकी भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। मीडिया ने इन्हें रोल मॉडल बना दिया है। मीडिया ने ही उन्हें घर की गुलामी से बाहर निकालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मीडिया ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। आने वाले दिनों में भी मीडिया के द्वारा महिलाओं की छवि को और सशक्ति एवं मजबुती मिलेगी।

महिला अधिकार का सीधा सम्बन्ध जीने के अधिकार से है। इसलिए इसे खेत-जमीन, पर्यावरण संरक्षण तथा मजदूर आन्दोलनों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। साथ ही नाइन्साफी से सुरक्षा के लिए महिला को एक अलग वर्ग में माना जाए, तथा नीति-निर्माण एवं नियोजन में इसका ध्यान रखा जाए। अनुसंधान द्वारा यह भली भाँति ज्ञात किया जाता है कि प्रशासन और पुलिस जहाँ न्याय दिलाने में असक्षम साबित हो, वहाँ वह आयोग-न्याय प्रक्रियाएँ सीधा हस्तक्षेप कर सके। इसके साथ ही राजनीतिक और आर्थिक फैसलों की प्रक्रिया में महिला की भागीदारी को सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। पुरूष की सत्तावादी मनोवृत्ति के खिलाफ महिला को मनुष्य का दरजा दिलाने की इस लड़ाई में अनेक जटिलताएँ होगी, क्योंकि यह समाज और व्यवस्था से बाहर आकर नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि इसे व्यवस्था के भीतर रह कर ही लड़ा जाना है। महिला के मानवाधिकार की लड़ाई का लक्ष्य महिलाओं को पर पुरूष में परिवर्तन करना नहीं, बल्कि स्त्री और पुरूष के बीच अधिकतम समानता पर टिके ऐसे समाज की रचना करना है जहाँ महिला-पुरूष से एक दर्जा नीचे रहने के दर्द से स्थाई रूप से मुक्ति हो सकें।

नए साल की रात मुंबई के पांच सितारा होटल के बाहर दो लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वह हमारे समाज की बहुत सी उन सच्चाईयों के कपड़े उतार देता है, जिन्हें हम अक्सर महानगर, आधुनिकता और नए साल का सुरूर जैसे बहानों से ढकने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम उन तर्कों को टिप्पणी लायक नहीं समझते, जो या तो यह कहते है कि नया साल पश्चिम की अवधारणा है और अगर हम मनाएंगे तो ऐसे विद्रूप सामने आएंगे ही, या फिर शराब के नशे में लोग सुध-बुध खो बैठते है, इसलिए देर रात भले घर की लड़कियों को खुले आम नहीं निकलना चाहिए था। इसी दर्जे का एक तर्क टीवी पर यह भी प्रस्तुत हुआ कि जो हुआ वह मुंबई की संस्कृति नहीं है, बाहर के लोगों ने सब कुछ बदल दिया है। पिछले साल भी लगभग इसी तरह की वारदात गेटवे ऑफ इंडिया पर हुई थी। दिल्ली इसलिए बच गया, क्योंकि इस साल यहाँ ऐसी वारदात से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थी। बात नए साल की नहीं है क्योंकि होली जैसे त्योहारों पर भी हमेशा ही ऐसी आशंकाएं रहती है। बड़ी वारदात यदि घटती नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि होली पर औरतें और लड़कियां आमतौर पर घर से निकलती ही नहीं है। पर यह कैसी उत्सवप्रियता है, जो आधी आबादी को कैद कर

www.ignited.in

देने के बाद तो संयत रहती है, लेकिन उनके बाहर निकलते ही पाश्विकता पर उतर आती है? यह कैसी कुंठा है, जो किसी महिला को सरेआम बेआबरू करने का बहाना ढूंढती है?

मुंबई के जुहू में सोमवार की रात जो तार-तार हुए वे दरअसल उन दो लड़कियों के कपड़े नहीं थे। वे हमारे सपने थे, जो एक सभ्य और आधुनिक समाज बनाने के लिए देखे गए थे। आधुनिकता की हमारी अवधारणा ऐसे समाज की है, जो महिला-पुरूष समता पर आधारित हो। एक ऐसा समाज, जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, महिलायें पुरूषों के बराबर आकर खड़ी हो सकें। इसके लिए उन्हें खासतौर पर प्रोत्साहन दिया जाए। आरक्षण के नाम पर ऐसा ही प्रोत्साहन हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़ों को भी देते है। विरोध वहाँ भी होता है, लेकिन महिलाओं के मामले में वह ज्यादा आसान और आसानी से हिंसक हो जाता है। महिला को दबाएँ रखने का सरलतम तरीका है कि उसे घर से निकलने ही न दो, जब वह निकलेगी ही नहीं, तो बराबर खड़ी कैसे होगी। इसी सोच के चलते हमारे सार्वजनिक जीवन, हमारे उत्सवों में महिलायें प्रायः नदारत हैं, इसलिए एक सैक्स कुंठा उपजती है, जो मौका पाकर सार्वजनिक स्थल पर आई महिलाओं को बेआबरू करने की हद तक चली जाती है। जुहू में दो लड़कियों को सरेआम प्रताड़ित करने वालों और गुवाहाटी की सड़क पर प्रदर्शन कर रहीं आदिवासी लड़की से दुर्व्यवहार करने वालों में कोई फर्क नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन से संलग्न उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर महिला स्वतंत्रता, जागरूकता एवं समानता के उभरते नवीन प्रतिमान की ओर संकेत करने का प्रयास किया गया है।

उपसंहार

तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक नारी के जीवन व सामाजिक स्थिति में खुशहाली और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना करना कोई मायने नहीं रखता। यदि हम देश में नारी के भविष्य में खुशहाली देखना चाहते है तो भावी नारी यानि बालिका के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। तभी ये आज की खुशहाल बालिकाएं कालान्तर में भारतीय नागरिक के रूप में देश भविष्य को अग्रसर करने में कामयाबी हासिल कर सकेगी। अत: महिला-शिक्षा, महिलाओं के सामाजिक स्तर को उन्नयन करने तथा बाल-विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समयबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभियान को प्रभावी ढंग से संगठित एवं संचालित करने की आवश्यकता है। जिस बेटी का पैदा होना ही दुभाग्य का उदय व अच्छे दिनों का अस्त होना माना जाता है, उस के लिए अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर होने के अतिरिक्त कोई विकल्पन भी नहीं है उसे प्यार, लालन-पालन, पोषण, इलाज, शिक्षा, आराम आर्थिक एवं व्यक्तित्व को निखारने जैसे कई अभावों और मोहताजी की स्थितियों में जीवन निर्वाह करना पड़ता है। पिताव पति दोनों के परिवारो में उसे पराई समझने की सामाजिक मान्यता व परम्पराओं के कारण स्वतंत्र रूप से आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, चाहे संविधान की धाराओ में से बाप व पति की सम्पति में हिस्सेदारी का प्रावधान रखा भी गया है। वह पिता और पति के घर में उनकी एक जिम्मेदारी बनकर आती है, जिसे वे ढोने जैसी मानसिकता पाले रखते है। ऐसी परिस्थितियो में अपने भविष्य के लिए कोई सपने संजोने की कल्पना भला वह कैसे कर सकती है? लड़कियो को स्वयं, आगे आकर अपने अधिकारो को मांगना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नारी दास्ताँ: हरीश चन्द्र व्यास महिला विकास और सशक्तिकरण: प्रज्ञा शर्मा महिला और मानवाधिकार: एम. ए. अंसारी

2. नाटाणी, पी. एन. (2000): भारत में सामाजिक समस्याएं

3. बोहरा, आशा: भारतीय नारी दशा दिशा बाइबिल: बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगलौर तिवारी, आर. पी (1999): भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएँ और समाधान

4. इन्द्रदेव (1969): भारतीय समाज इन्द्र एम. ए.: प्रचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति लारेन्स, जास्मिन (1999): महिला श्रमिक: सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ किशोर, राज: स्त्री के लिए जगह

5. मेहता, चेतन (1996): महिला और कानून रत्तू, कृष्ण कुमार (1998): भारतीय समाज: चिन्तन ओर पतन पन्निकर: हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999): भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति

6. पाण्डेय केशव: स्वातंत्र्योत्तर भारत में ग्राम्य विकास और गांधी दर्शन अग्रवाल. जे. सी.: भारत में नारी शिक्षा

www.ignited.in

7. उपाध्याय, रमेश: हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार मोदी सरोज: विधानसभाओं में महिला विधायक

8. आरजू, एम. एच.: भारतीय महिला और आधुनिकरण शर्मा, रामनाथ (2000): भारतीय समाज, संस्थाऐं और संस्कृति शर्मा, विरेन्द्र प्रकाश: भारत में सामाजिक परिवर्तन

Corresponding Author

Dr. Pushpa Rai*

Associate Profesor & Head of the Department, Department of Sociology, Sri Arvind Mahila College, Patna, Bihar